

आवेदन पत्र

श्रीमान अपर/नायब तहसीलदार महोदय

तहसील

जिला - (म.प्र.)

विषय: म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 109-110 के तहत नाबालिग से बालिग नामांतरण करने बाबत ।

----- आवेदक

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि:-

1. ग्राम प.ह.न. तहसील, जिला में प्रार्थी खातेदार के नाम से राजस्व पत्रकों निम्नानुसार खाते की भूमियां स्थित है।

नाम खातेदार

सर्वे नं.

रकबा

लगान

2. यह कि प्रार्थी का खाते में नाम आज भी नाबालिग के रूप में दर्ज है जबकि प्रार्थी पूर्ण रूप से बालिग जिसके प्रामाण स्वरूप प्रार्थी के आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह कि उपरोक्त नामांतरण का प्रकरण अविवादित होकर किसी भी अन्य न्यायालय में प्रचलित नहीं है।

4. अतः सदर प्रकरण में आयु संबंधी प्रमाण पत्र व खाता खसरा नकल पेश कर श्रीमान की सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी खातेदार के खाते में से नाबालिग हटाकर बालिग नामांतरण स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

दिनांक :

संलग्न

प्रार्थी

.....

मोबाइल नं. -----